प्रेस विज्ञप्ति
17.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला उप-आंचलिक कार्यालय ने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की जांच के सिलसिले में मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 (1) के तहत गिरफ्तार किया है।

ईडी ने सुभाष शर्मा और अन्य प्रमुख षडयंत्रकारियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश राज्य और पंजाब राज्य द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोपियों ने निवेशकों को उच्च और सुनिश्चित रिटर्न का वादा करके धोखा देने के लिए कोरवियो, डीजीटी, हाइपेनेक्स्ट और ए-ग्लोबल सहित कई काल्पनिक निवेश प्लेटफॉर्म संचालित किए।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) तथा पीएमएलए के तहत की गई जांच से यह उजागर हुआ कि वर्ष 2018 में सुभाष शर्मा ने सह-अभियुक्तों, जिनमें हेम राज, मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर, अभिषेक शर्मा एवं अन्य शामिल हैं, के साथ मिलीभगत कर एक क्रिप्टोकरेंसी-आधारित मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजना प्रारंभ की। यह योजना एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाती थी, जिसे नियंत्रित संचालन तथा बड़े पैमाने पर निवेशकों के नामांकन को सुगम बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। बाद में इस प्लेटफॉर्म को डिजिटल ओशन पर होस्ट किए गए विदेशी सर्वरों पर स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसका संचालन **korvio.io** एवं **voscrow.com** जैसे डोमेन के माध्यम से किया गया।

अभियुक्तों ने जनता को "कोरवियो कॉइन (केआरओ)" में निवेश करने के लिए सुनिश्चित उच्च प्रतिफल का झूठा आश्वासन देकर, भ्रामक प्रचार-प्रसार हेतु सेमिनार आयोजित कर, टोकनों के मूल्य में हेरफेर कर तथा पोंजी संरचना को बनाए रखने के उद्देश्य से नए टोकन प्रस्तुत कर निवेश के लिए प्रेरित किया। इस पोंजी संरचना के अंतर्गत नए निवेशकों से प्राप्त धनराशि का उपयोग पूर्ववर्ती निवेशकों को प्रतिफल का भुगतान करने के लिए किया जाता था। अपनी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को छिपाने के उद्देश्य से डिजिटल अभिलेखों तथा डोमेन संबंधी डेटा को हटा दिया गया। तथापि, बरामद डिजिटल साक्ष्यों से यह उजागर हुआ कि 2.48 लाख से अधिक उपयोगकर्ता इस धोखाधड़ी के शिकार हुए तथा कुल लेनदेन 219 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा, जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष निवेशकों को लगभग 500 करोड़ रुपये की अनुमानित हानि हुई।

ईडी की जांच में सामने आया कि मिलन गर्ग काल्पनिक क्रिप्टोकरेंसी योजनाओं, अर्थात कोरवियो/वोस्कोरो, हाइपेनेक्स्ट और ए-ग्लोबल के प्रमुख मास्टरमाइंड और तकनीकी वास्तुकार में से एक था। उसने इन प्लेटफार्मों को विकसित और नियंत्रित किया, क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का प्रबंधन किया, निवेशकों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किए जाने की प्रक्रिया की निगरानी की, निवेशित धन को रूट किया, नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने की सुविधा प्रदान की, और धोखाधड़ी योजनाओं के तकनीकी और वित्तीय संचालन पर समग्र नियंत्रण बनाए रखा।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा काल्पनिक क्रिप्टोकरेंसी स्कीम कोरवियो/वोस्कोरो के शुरुआती प्रमोटरों में से थे और निवेशकों को उच्च रिटर्न का झूठा आश्वासन देकर निवेशकों को जुटाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने निवेशकों से भारी मात्रा में नकदी एकत्र की और क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा के निर्देश पर इसे जुनेजा परिवार, यानी विजय जुनेजा और मासूम जुनेजा, और अन्य सह-षडयंत्रकारियों को दिया, जो वर्तमान में फरार है।

उन्होंने उक्त योजनाओं से पर्याप्त कमीशन अर्जित किया तथा अपराध से अर्जित आगम से अधिग्रहित अचल संपत्तियों में लाभकारी हित प्राप्त किए। इनमें सुखदेव ठाकुर के 10% लाभकारी हित तथा अपराध से अर्जित आगम से अधिग्रहित संपत्ति 'जुनेजा स्क्वायर' में अभिषेक शर्मा के 5% लाभकारी हित शामिल हैं।

ईडी की जांच में आगे यह भी उजागर हुआ कि सुखदेव ठाकुर ऐसे बैंक खातों एवं क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का संचालन करता था, जिनके माध्यम से घोटाले से संबंधित धनराशि का स्थानांतरण किया जाता था। अभिषेक शर्मा के बैंक खाते से भी क्रिप्टोकरेंसी तथा रियल एस्टेट परियोजनाओं/कंपनियों के माध्यम से अपराध से अर्जित आगम के धन शोधन में संलिप्त संस्थाओं एवं व्यक्तियों के साथ पर्याप्त वित्तीय लेनदेन का पता चला है।

मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा के अपराध में न्यायिक हिरासत में होने के कारण प्रवर्तन निदेशालय ने माननीय पीएमएलए न्यायालय, शिमला के समक्ष पेशी अर्जी दाखिल की। पेशी वारंट के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने तीनों आरोपियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार किया और माननीय पीएमएलए न्यायालय, शिमला के समक्ष पेश किया।

इसके बाद माननीय न्यायालय ने अपराध से उत्पन्न आगम और क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के माध्यम से धन शोधन की कुल मात्रा की आगे की जांच के लिए आरोपी की 12 दिनों की हिरासत ई.डी., शिमला को सौंप दी।

इससे पहले, ई.डी., शिमला उप-आंचलिक कार्यालय ने वर्तमान मामले में हेम राज और मासूम जुनेजा को भी धन शोधन के अपराध के लिए गिरफ्तार किया था।
